



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10, गंगाराम की डायी, वैशाली नगर, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटावाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in


e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)



भारत प्रेरणक पुस्तक: 40 जवाहरलाल नेहरू
'बलिदान आरम्भ के 100 वर्षों का
सूत्रिका के भी, विभाजकरी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुद्रणनिर्देशों को लिखें पर से साक्षर)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन चौध
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित धायाग
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्पाणीय अध्यक्ष :-**
जयपुर

योगेन्द्र मोक्षर
(युवा संरक्षक)
मो. 9166494225

एन. के. ड्रामड
(अधीनस्थ अधिका)

मो. 9414008416

बेनराज मोयल
(संरक्षक अधिका अधिका)

मो. 9460926850

प्रहलाद सिंह राठी
(पूर्व आर.ए.एस)

मो. 9414085447

अजय चतुर्वेदी
(अधीनस्थ अधिका)

मो. 9413385665

दुष्यंत सिंह चूडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रोत्साहन - अधिका महासचिव ए.एस.)

मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : कल्याण नंदी (अधीनस्थ - पर)

मो. 9314962106

क्रमांक 32035-32824

दिनांक: 23-12-2015

श्रीमान प्रमद मुखर्जी साहब,
महासमिहिन राष्ट्रपति महोदय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली।

विषय- श्री आरकर फर्निचर (अंगरेजी सांसद), जी.आर.आ (सीपीआई सांसद), के.टी.राजीव
(जदयू सांसद) एवं 58 अन्य सांसदों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करने का।

महोदय,

कृपया इस अवदन के साथ संलग्न राजस्थान पत्रिका (19.12.2015) एवं दैनिक भास्कर (19.12.2015) की प्रेस क्लिपिंग का अवलोकन करें जिससे स्पष्ट होत है कि श्री आरकर फर्निचर, आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अश्विनी कुमार, पीएल पुनिया, राजीव मुख्तार, अशिका सोने, बीके हरीप्रसाद (सभी अंगरेजी सांसद), जी. राजवट/सीपीआई सांसद, के.टी. स्वामी (जदयू सांसद) उल्लेख्य सांसदों सहित कुल 58 उल्लेख्य सांसदों ने एक राय होकर मुजलात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जी जे.डी. फारुकीसा के विरुद्ध उनके द्वारा न्यायिक निर्णय में की गई आरक्षण एवं इच्छाकार विरोधी टिप्पणी के लिए महासमिहिन लाने का प्रस्ताव राज्यसभा अध्यक्ष को सौंप है।

भारतीय संविधान की यह सर्वाधिकारिता सार्वजनिक व्यवस्था है कि न्यायसिद्ध, विचारिका और कार्यसिद्धा, तीन प्रजातंत्रिक सामर्थों को पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने क्षेत्र में कार्य करने का अधिकार है। यह भी सार्वजनिक तथ्य है कि उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के प्राधान्यों की समीक्षा करने और उनका निर्वहन करने का अधिकार है। इस समय पूरे देश में आरक्षण एवं इच्छाकार से संबंधित सैकड़ों सार्वजनिक विवाद हैं, ऐसी परिस्थितियों में उपरोक्त सांसदों द्वारा एक राय होकर एक राष्ट्रवादी कार्यसिद्धा न्यायसिद्धा के विरुद्ध महासमिहिन प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर का दुरुपयोग कसो हुई देह के सैकड़ों राष्ट्रवादी एवं कार्यसिद्धा न्यायसिद्धा को प्रत्यक्ष रूप से डराने, धमकाने और भ्रष्टाचार करने का कृत्य है तकि वे संविधान प्रदात कार्यसिद्धा का निर्वहन स्वतंत्रता एवं विचारिता के साथ नहीं कर सके। दुसरी ओर यह कृत्य पूरे देश में जातिगत उन्माद फैलाकर करोड़ों लोगों को जातिगत संघर्ष में धकेल कर न्यायिक स्तर पर भारतक फैला कर चुकी हुई सरकारों को अक्षर करने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति का प्रयास है। यह सभी कृत्य राजद्रोह है, देशद्रोह है, अधिका एवं असंवैधानिक भी होने के कारण इन सांसदों द्वारा की गई संविधान का की शक्ति का उल्लंघन है।

अतः उन्हें संविधान प्रदात कोई सुस्था या विशेषाधिकार प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। आपसे प्रार्थना है कि उपरोक्त दर्ज सांसदों सहित सभी 58 सांसदों (जिनके नाम एवं पते राज्यसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध है) फिर भी यदि आम सहयोग तो हम उपलब्ध करवा देंगे) के विरुद्ध फौजदारी मुकदमा भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के अधीन दर्ज करने नियमनुसार कार्यवाही की जाकर उन्हें दण्डित कराया जाये। धन्यवाद।

संलग्न - प्रेस क्लिपिंग

महदीय,
(योगेष्ठर महासचिव)

जयपुर क्लिपिंग, समता आन्दोलन समिति
जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लॉट नं. 9-10,
गंगाराम की डायी, वैशाली नगर, जयपुर-302021

प्रतिनिधि:- माननीय संसद महोदय को प्रेषित कर जिवेदान है कि महासमिहिन राष्ट्रपति महोदय को संविधान की शक्तियों उपरोक्त 58 स्वामी सांसदों के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाने का आग्रह कर अनुमोहीत कर। सादर

(योगेष्ठर महासचिव)

58 सांसदों ने दिया जज पर महाभियोग चलाने का नोटिस जस्टिस पारदीवाला ने की थी आरक्षण विरोधी टिप्पणी

नई दिल्ली/अहमदाबाद @
पत्रिका . गुजरात हाईकोर्ट के जज



जेबी पारदीवाला
द्वारा आरक्षण के
विरोध में कथित
तौर पर की गई
एक टिप्पणी को
लेकर 58

राज्यसभा सांसदों ने उन पर
महाभियोग चलाने का नोटिस दिया
है। कांग्रेस के ऑस्कर फर्नांडीज,
सीपीआई के डी राजा, जदयू के
केसी त्यागी सहित 58 सांसदों ने
जज को हटाने के लिए महाभियोग
के नोटिस पर हस्ताक्षर किए और
राज्यसभा अध्यक्ष को सौंप दिया।

जज ने कहा था

जस्टिस पारदीवाला ने पटेल
आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक
पटेल के खिलाफ देशद्रोह का
आरोप हटाने से इनकार करते हुए
हल ही में कहा था, 'यदि कोई
मुझसे दो ऐसी चीजें बताने को कहे
जिसने देश को बर्बाद कर दिया है
या जिसने देश को सही दिशा में
प्रगति नहीं करने दी है, तो मैं कहूंगा
कि ये आरक्षण और भ्रष्टाचार हैं।
संविधान जब बना तो कहा गया था
कि आरक्षण की व्यवस्था सिर्फ
10 साल के लिए की गई है।
लेकिन दुर्भाग्य से यह 65 साल
बाद भी लागू है।'

इन पर चला महाभियोग

स्वतंत्र भारत में दो जजों को
महाभियोग प्रस्ताव से हटाया जा
चुका है। 1993 में पंजाब व
हरियाणा हाईकोर्ट के सीजे रहे जी
रामास्वामी के खिलाफ लोकसभा
में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया।

पढ़ें 58 सांसदों @ पेज 9

58 सांसदों...

लेकिन वोटिंग में गिर गया था। 2011
में कलकत्ता हाईकोर्ट के सीजे सौमित्र
सेन के खिलाफ राज्यसभा में प्रस्ताव
आया। उन्हें हटा दिया।

50 सदस्यों के हस्ताक्षर की
जरूरत : राज्यसभा में महाभियोग
संबंधी याचिका देने के लिए इस पर
न्यूनतम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने
चाहिए। इस बीच जस्टिस
पारदीवाला ने अपने पूर्व के आदेश से
आरक्षण संबंधित विवादित टिप्पणी
हटा दी।

पत्रिका

Sat, 19 D
epaper.pa

पत्रिका

Sat, 19
epaper.

आरक्षण पर टिप्पणी, जज की कुर्सी खतरे में

58 सांसदों ने राज्यसभा में पेश किया महाभियोग

नई दिल्ली/अहमदाबाद | आरक्षण पर टिप्पणी करने वाले गुजरात हाईकोर्ट के जस्टिस जेबी पारडीवाला की कुर्सी खतरे में है। राज्यसभा के 58 सांसदों ने सभापति को महाभियोग प्रस्ताव देकर पारडीवाला को हटाने की मांग की है। इसके बाद जज ने विवादित पैराग्राफ फैसले से हटा लिया। लेकिन, इसके बाद भी उनका संकट टला नहीं है। सभापति हामिद अंसारी के सामने पेश याचिका में सांसदों ने कहा, 'यह दुखद है। शेष | पेज 6

यह कहा था : जस्टिस पारडीवाला ने पटेल अंदोलन के दौरान एक सुनवाई में कहा था- यदि मुझे पूजा जाए कि कौन सी दो बातें हैं, जिन्होंने देश को बर्बाद किया। तब मेरा जवाब होगा, पहला-आरक्षण और दूसरा-भ्रष्टाचार। हमारा संविधान बना था, तब आरक्षण दस साल के लिए रखा था। लेकिन दुर्भाग्य से आजकी के 65 साल बाद भी आरक्षण बना हुआ है।

आरक्षण पर टिप्पणी...

जज को अजा-अजजा से जुड़ी नीतियों के संवैधानिक प्रावधानों की जानकारी नहीं है। जज की टिप्पणियों के आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है।

सरकार के कहने पर हटाया पैराग्राफ : हाईकोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता देख गुजरात सरकार ने शुक्रवार को आदेश में संशोधन की मांग की। राज्य सरकार की दलील थी, 'पैराग्राफ-62 में की गई टिप्पणी प्रस्तुत मामले से मेल नहीं खाती। इन्हें हटाया जाए।' हाईकोर्ट ने अर्ज को मंजूर कर लिया और विवादित पैराग्राफ हटा दिया।

अब महाभियोग प्रस्ताव का क्या होगा? : जिस टिप्पणी को लेकर महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया है, वह हटा ली गई है। अब प्रस्ताव का क्या होगा? इस पर वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने कहा, 'महाभियोग का आवेदन दिया जा चुका है। जब तक जज संसद को लिखकर नहीं देते कि टिप्पणी हटा ली है, तब तक कार्यवाही चलती रहेगी।' वहीं, संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप का कहना है कि महाभियोग प्रस्ताव दो ही सूरत में खत्म होगा। सांसद अपना प्रस्ताव वापस ले या सभापति जज के लिखित आश्वासन से संतुष्ट हों। वरना कार्यवाही चलती रहेगी।' इन सांसदों ने किए हैं याचिका पर हस्ताक्षर : आनंद शर्मा, दिग्विजय सिंह, अश्विनी कुमार, पीएल पूनिया, राजीव शुक्ला, ऑस्कर फर्नांडीज, अंबिका सोनी, बीके हरिप्रसाद (सभी कंग्रेस), डी. राजा, केएन बालगोपाल, शरद यादव (जदयू), एनसी मिश्रा और नरेंद्र कुमार कश्यप, तिरुवि शिवा (डीएमके) और डीपी त्रिपाठी (एनसीपी)।

